रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261] नई दिल्ली, बुधवार, मई 23, 2001/ज्येष्ठ 2, 1923

No. 261] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 23, 2001/JYAISTHA 2, 1923

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2001

सा.का.नि. 382(अ).—लोक ऋण नियम, 1946 क और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) की धारा 2 के खण्ड (2) के उपखंड (क) की मद (iv) के साथ पठित धारा 28 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है, और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है;

उक्त अवधि की समाप्ति से पहले प्रारूप नियमों के बारे में प्राप्त किसी आक्षेप या सुझाव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

कोई व्यक्ति, जो प्रारूप नियमों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है उसे ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार करने के लिए सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001 को भेज सकेगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक ऋण (संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. लोक ऋण नियम, 1946 के नियम, 24 के उपनियम (1) में, खण्ड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किए जाएंगे; अर्थात् :—

(थ) सरकारी वचनपत्र या वचनपत्रों, स्टॉक प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्रों या समनुषंगी साधारण खाते में धारक के लेखा नामे धारित स्टॉक को बांड खाता लेखा में धारक के नामे धृत अतिशेषों में संपरिवर्तित करना; या

(द) बांड खाता लेखा में धारक के लेखा नामे धृत अतिशेषों को सरकारी वचनपत्र या वचनपत्रों, स्टॉक प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्रों या समनुषंगी साधारण खाते में धारक के लेखा नामे धृत स्टॉक में संपरिवर्तित करना।

[फा. सं. 4(5)पी. डी./98]

डी. स्वरूप, संयुक्त सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd May, 2001

G.S.R. 382(E).—The following draft of certain rules further to amend the Public Debt Rules, 1946 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 28 read with item (iv) of sub-clause (a) of clause (2) of Section 2, of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) is hereby published as required by the said section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the notification is published are made available to the public,

Any objection or suggestion which may be received with respect to the draft rules before the expiry of the said period will be considered by the Central Government,

A person desiring to make any objection or suggestion in respect of the draft rules, may forward the same for consideration by the Central Government within the period specified above to the Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi-110001

DRAFT RULES

1 (1) These rules may be called the Public Debt (Amendment) Rules, 2001

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In the Public Debt Rules, 1946, in rule 24, in sub-rule (1), after clause (p), the following clauses shall be inserted, namely —

"(q) convert the Government promissory note on notes, stock certificate or certificates or stock held at the credit of the account of the holder in the Subsidiary General Ledger into balances held at the credit of the holder in the Bond Ledger Account, or

(r) convert balances held at the credit of the account of the holder in the Bond Ledger Account into Government promissory note or notes, stock certificate or certificates or stock held at the credit of the account of the holder in the Subsidiary General Ledger "

[F No 4(5)-PD/98]

D SWARUP, Jt Secy (Budget)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi 110064